

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 11.07.2014

क्रमांक एफ-1-109/2012/सात-4 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-1-06/2012/7-4 दिनांक 27.07.2012 के अनुक्रमांक-09 में उल्लेखित श्री जोतसिंह कुशराम, अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय बिलासपुर का स्थानांतरण "प्रशासनिक आधार" पर जिला कार्यालय कोण्डागांव किया गया है।

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जोतसिंह कुशराम, अधीक्षक भू-अभिलेख, का जिला कार्यालय बिलासपुर से जिला कार्यालय कोण्डागांव में किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए पूर्ववत् जिला कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ करता है।

02- इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-1-76/2012/7-4 दिनांक 31.07.2012 के अनुक्रमांक-11 में उल्लेखित श्री विरेन्द्र पाण्डे, पटवारी प0ह0नं0-26 राजपुर, जिला-बलरामपुर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर पटवारी हल्का नं0-29 सूरजपुर, जिला-सूरजपुर किया गया है।

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विरेन्द्र पाण्डे, पटवारी, प0ह0नं0-26 का राजपुर, जिला-बलरामपुर से पटवारी हल्का नं0-29 सूरजपुर, जिला-सूरजपुर में किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए पूर्ववत् प0ह0नं0-26 राजपुर, जिला-बलरामपुर में पदस्थ करता है।

03- कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के समसंख्यक आदेश क्रमांक 5292/A/स्था.लि./2012 दिनांक 30.07.2012 के अनुक्रमांक-05 में उल्लेखित श्री खिलेश्वर पुरैना, पटवारी प0ह0नं0-11, तहसील-भाटापारा का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर तहसील-बिलाईगढ़ किया गया है। उक्त स्थानांतरण आदेश में "स्वयं के व्यय के स्थान" पर "प्रशासनिक" आधार पर पढ़ा जावे।

04- इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-1-84/2012/7-4 दिनांक 31.07.2012 के अनुक्रमांक-07 में उल्लेखित श्री अशोक राजपूत, पटवारी प0ह0नं0-32 का तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर तहसील-पेण्ड्रा जिला-बिलासपुर कलेक्टर के विकल्प पर किया गया है।

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अशोक राजपूत, पटवारी प0ह0नं0-32 तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली से तहसील पेण्ड्रा जिला बिलासपुर में किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए पूर्ववत् प0ह0नं0-32, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली में पदस्थ करता है।

05- इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-2-27/सात-2/2012 दिनांक 31.07.2012 के अनुक्रमांक-02 में उल्लेखित श्री इरशाद अहमद, तहसीलदार, जिला-सूरजपुर का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर जिला-मुंगेली किया गया है।

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री इरशाद अहमद, तहसीलदार, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर से जिला-मुंगेली में किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए पूर्ववत् सूरजपुर, जिला-सूरजपुर पदस्थ करता है।

02

//02//

06- कलेक्टर जिला कोरिया बैकुण्ठपुर के समसंख्यक आदेश क्रमांक 6829/स्था0-1/2012 दिनांक 31.07.2012 के अनुक्रमांक-13 में उल्लेखित श्री फारूख मोहम्मद अंसारी, सहायक ग्रेड-3, तहसील कार्यालय-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर तहसील कार्यालय, भरतपुर किया गया है।

राज्य शासन एतद्वारा श्री फारूख मोहम्मद अंसारी, सहायक ग्रेड-3, को कलेक्टर कोरिया द्वारा तहसील कार्यालय बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया से तहसील कार्यालय भरतपुर किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए पूर्ववत् तहसील कार्यालय बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया में पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकांत उइके)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ-1-109/2012/सात-4

नया रायपुर, दिनांक 11.07.2014

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

01. विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन को सादर सूचनार्थ.
02. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6) मंत्रालय, रायपुर.
03. आयुक्त मू-अभिलेख छ0ग0 रायपुर.
04. कलेक्टर, मू-अभिलेख शाखा जिला विलासपुर/कोण्डागांव/सूरजपुर/बलरामपुर-रामानुजगंज/बलौदाबाजार-भाटापारा/मुंगेली/कोरिया.
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला विलासपुर/कोण्डागांव/सूरजपुर/बलरामपुर-रामानुजगंज/बलौदाबाजार-भाटापारा/मुंगेली/कोरिया.
06. संचालक, एन.आई.सी. मंत्रालय रायपुर की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट cg.nic.in/revenue में अपलोड करने हेतु.
07. संबंधित श्री
08. राजस्व विभाग, शाखा-2.
09. आदेश फोल्डर.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग